—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 100/2024

उनवान

1. भागचन्द,
2. भंवरी,
3. नौरती,
4. मनभर,
5. मैना पि0 श्रवण
6. लाडा पत्नी श्रवण,
7. रामसुख पुत्र हजारी जाति गुर्जर नि0 दिलवाडी, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राज. काश्त. अधि. 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 30/6/25

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दिलवाडी में स्थित आराजी मुतनाजा वादीगण की खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
328/3199	किता 13	4.48
403/387	किता 4	0.53
401/384	किता 2	0.41

उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज अमरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। अमरा की मृत्यु हो गयी है। उसके वारिस हीरा के नाम विरासत सही रूप से दर्ज की गयी। हीरा की विरासत बिना किसी हक व अधिकार के बंदोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से हीरा के दो वारिस क्रमशः हजारी व देवा के कर दी। देवा अविवाहित फौत हो गया है। हजारी की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस रामसुख व श्रवण के पिता का नाम हजारी के स्थान पर देवा अंकित कर दिया है। तथा [illegible] नही होने के बाद भी उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया [illegible] त्रुटि खाता संख्या 328/319 व 403/387 में की गयी किन्तु [illegible] 384 [illegible] है। अतः आराजी मुतनाजा में खाता संख्या 401/3884 [illegible] जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी [illegible] किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि भूमि खातेदारी होने से रा[illegible] प्रभावित नही होता है। खाता संख्या 401/3884 के अनुसार खाता संख्या 328/319, व 403/387 में रामसुख पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भागचन्द बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू. राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 100 / 2024
पेश करने की दिनांक — 27.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :— पिलवाड़ी

ग्राम देवंजी के हाल खाता संख्या 328 / 319 किता 13 रकबा 4.48 व 403 / 387 403 / 387 किता 4 रकबा 0.53 पर वादी का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर देवा की विरासत की जॉच कर नवीन सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 6 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

नोट:- दिनांक 28.8.25 को आदेश [illegible] अनुसार ग्राम देवंजी के स्थान पर ग्राम पिलवाड़ी संशोधित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

देवा के स्थान पर रामसुख पुत्र हजारी व श्रवण पुत्र देवा के स्थान पर श्रवण पुत्र हजारी का इन्द्राज किया जाना उचित है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरुस्ती का अधिकारी है ?

—— वादी

2. अनुतोष ?

वादी अधिवक्ता ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया। बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। चौसाला जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज अमरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। अमरा की मृत्यु हो गयी है। उसके वारिस हीरा के नाम विरासत सही रूप से दर्ज की गयी। हीरा के दो वारिस क्रमशः हजारी व देवा थे। देवा अविवाहित फौत हो गया है। हजारी की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस रामसुख व श्रवण के पिता का नाम हजारी के स्थान पर देवा अंकित कर दिया है। तथा हजारी पुत्र देवा नाम का कोई व्यक्ति नही होने के बाद भी उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया गया। उक्त त्रुटि खाता संख्या 328/319 व 403/387 में की गयी किन्तु खाता संख्या 401/384 में सही नाम अंकित है। राज. पैरोकार ने भी वाद के कथनों को स्वीकार करते हुये दुरुस्ती की सहमती दी है। हल राजस्व अभिलेख में भूमि रामसुख व श्रवण पि. देवा के नाम अंकित है। साथ ही हजारी पुत्र देवा भी अन्य व्यक्तियों के साथ सह खातेदार दर्ज है। वादी का कथन है कि रामसुख व श्रवण के पिता नाम देवा नही होकर हजारी है। श्रवण पि. हजारी की भी मृत्यु हो गयी हे जिसके वारिस वादी संख्या 1 से 6 है, रामसुख पि. हजारी वादी संख्या 7 है। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 2 में रामसुख, हजारी, श्रवण पि. देवा का नाम अन्य व्यक्तियों के साथ सह खातेदारी में दर्ज है। प्रकरण में कोई खण्डन नही है। साबिक राजस्व अभिलेख में भी विरासत होने का अंकन नही है। वादीगण द्वारा प्रकरण में पक्षकार का शजरा प्रमाण पत्र भी पेश नही किया है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण साबित करने के लिये पर्याप्त दस्तावेज पत्रावली पर नही है।

अतः ग्राम बैवंजा (पिलवाड़ी) के हाल खाता संख्या 328/319 किता 13 रकबा 4.48 व 403/387 403/387 किता 4 रकबा 0.53 पर वादी का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर देवा की विरासत की जॉच कर नवीन सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:01:40 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- दिनांक 28.[illegible] को [illegible]
बैवंजा [illegible]
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)